

29/11/2022

वकील फरीकेन उपस्थित। वदत वकील
 कानून पक्ष सुनी गई। ऐलान फरी वकील
 पत्रावली में वकालत नाम ही नहीं है।
 ना ही वादी साप्ल स्वयं वदत हेतु न्यायालय
 में उपस्थित हुकूमती सीमा नाग पत्थर गद्दी की
 विपरीत तदस्वीकृत कर्वाली हाथ पत्रांक 2189
 दिनांक 29-7-2021 के साप्ल हो चुकी है।
 यदि साप्ल खैरुल्लाह फुज राजहंस नूरुल्लाह
 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर या अपने
 वकील अलदुस ललीप खान M.V. दे माधक से
 करनी चाहिये थी साप्ल स्वयं उपस्थित नहीं।
 नव आ इत के शिरोधार के सम्बन्ध में साप्ल
 प्रार्थी और साप्ल खैरुल्लाह को न्यायालय हाजि
 में प्रथम से दावा पेश करना चाहिये था।
 उक्त पत्था (जरी पत्रावली) में ऐलान पेश
 करने का कोई कोचिप प्रतीति नहीं होगे।
 प्रार्थना पत्र प्रार्थी खैरुल्लाह फुज राजहंस
 अयाची का प्रार्थना पत्र सार हीन व तथ्यहीन
 होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली
 फसल मुकार होकर नम्बर से कसुलेक
 वाद वकमीय दारिफत दफ्तर हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 कर्वाली (राज०)